भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1354
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की कमी

1354. कुमारी राम्या हरिदास :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी और रिक्त पदों के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो विशेषकर केरल सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : देश के विभिन्न न्यायालयों में रिक्त पदों का विस्तृत ब्यौरा अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय (केरल सहित) उपाबंध-1 में दिए गए हैं और राज्य-वार जिला और अधीनस्थ न्यायालय (केरल सहित) उपाबंध-2 में दिए गए हैं।

(ख) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक निरंतर, एकीकृत और सहयोगी प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जबकि मौजूदा रिक्तियों को शीघ्रता से भरने का हर संभव प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या प्रोन्नति के कारण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती रहती हैं।

देश के जिला न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। संविधान के उपबंधों के अनुसार जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका स्तर पर न्यायिक अधिकारियों के चयन, भर्ती और नियुक्ति में केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के मुद्दों के संबंध में नियम और विनियम बनाती है। कुछ राज्यों में, संबंधित उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में, उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से ऐसा करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी 2007 में पारित न्यायिक आदेश द्वारा कुछ समय-सीमा निर्धारित की है, जिसका राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया

प्रारंभ करने के लिए पालन किया जाना है। इसलिए इस मामले में केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।

******

उपाबंध-1

'न्यायाधीशों की कमी' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1354, जिसका उत्तर 09.02.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट व्यौरा ।

01.02.2024 तक भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

	न्यायालय का नाम	**रिक्तियों की संख्या**
क.	**उच्चतम न्यायालय**	0
ख.	**उच्च न्यायालय**	
1	इलाहाबाद	70
2	आंध्र प्रदेश	7
3	बंबई	25
4	कलकत्ता	21
5	छत्तीसगढ	6
6	दिल्ली	18
7	गुवाहाटी	7
8	गुजरात	21
9	हिमाचल प्रदेश	5
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	2
11	झारखंड	7
12	कर्नाटक	11
13	केरल	11
14	मध्य प्रदेश	13
15	मद्रास	8
16	मणिपुर	1
17	मेघालय	1
18	ओडिशा	13
19	पटना	18
20	पंजाब और हरियाणा	29
21	राजस्थान	16
22	सिक्किम	0
23	तेलंगाना	16
24	त्रिपुरा	0
25	उत्तराखंड	5
	कुल	**331**

स्रोतः-न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल।

उपाबंध-2

'न्यायाधीशों की कमी' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1354, जिसका उत्तर 09.02.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट व्यौरा ।

05.02.2024 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या

क्र.सं.	**राज्य और संघ राज्यक्षेत्र**	**रिक्तियां**
1.	आंध्र प्रदेश	84
2.	अरुणाचल प्रदेश	10
3.	असम	46
4.	बिहार	467

5.	चंडीगढ़	1
6.	छत्तीसगढ	139
7.	दादरा और नागर हवेली	1
8.	दमन और दीव	0
9.	दिल्ली	89
10.	गोवा	10
11.	गुजरात	535
12.	हरयाणा	208
13.	हिमाचल प्रदेश	22
14.	जम्मू - कश्मीर	94
15.	झारखंड	182
16.	कर्नाटक	229
17.	केरल	91
18.	लद्दाख	7
19.	लक्षद्वीप	1
20.	मध्य प्रदेश	295
21.	महाराष्ट्र	250
22.	मणिपुर	10
23.	मेघालय	42
24.	मिजोरम	28
25.	नगालैंड	10
26.	ओडिशा	216
27.	पुदुचेरी	19
28.	पंजाब	112
29.	राजस्थान	300
30.	सिक्किम	12
31.	तमिलनाडु	334
32.	तेलंगाना	115
33.	त्रिपुरा	21
34.	उतार प्रदेश।	1250
35.	उत्तराखंड	29
36.	अंदमान और निकोबार	0
37.	पश्चिमी बंगाल	96
कुल		**5342**

स्रोतः-न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल।

****